मंगतू राम बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 107/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.02.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। जबाब स्टेट प्राप्त हुआ। वकील वादी ने दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज पेश किया। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जबाब तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम मंगतू राम पुत्र जोरा राम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख[illegible] के ख.नं. 39 की 1.922 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम मंगतू पुत्र जोतराम के स्थान पर मंगतू राम पुत्र जोरा राम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 23/2/2026 को सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:49:08 IST
Reason: SelfAttested